राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3436/2021
एवं
अपील संख्या :– 3496/2021

डॉ. श्रीकान्त अग्रवाल **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. अतिरिक्त निदेशक (राजपत्रित), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
3. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, भरतपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 27.08.2021
आदेश की दिनांक : 24.03.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अभिभाषक
प्रत्यर्थीगण की ओर से : डॉ. पुष्पेन्द्र पाल सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को वास्तविक पदोन्नति कनिष्ठ विशेषज्ञ (ऑथ्योमोलॉजी) के पद का लाभ दिनांक 01.04.2015 से अथवा प्रथम पदोन्नति आदेश दिनांक 15.06.2016 से एवं शेष राशि तथा उस पर ब्याज दिया जावे। साथ ही अपीलार्थी ने दूसरी अपील संख्या 3496/2021 में यह भी प्रार्थना की है कि अपील स्वीकार कर आदेश दिनांक 22.01.2021 को अपास्त फरमाया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावें कि उससे कनिष्ठ कार्मिक श्री सतीश कुमार शर्मा के समान एक स्टेप अप वेतन का लाभ दिया जाकर समस्त पारिणामिक लाभ मय शेष राशि ब्याज सहित दिए जाने के निर्देश दिए जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति चिकित्सा अधिकारी के पद पर दिनांक 24.09.2008 को हुई थी और डी.ए.सी.पी. स्कीम के अंतर्गत उसे कनिष्ठ विशेषज्ञ (ऑथ्योमोलॉजी) के पद पर दिनांक 01.04.2015 से पदोन्नत किया गया, परंतु

औपचारिक पदोन्नत आदेश देरी से दिनांक 02.08.2017 को जारी किया गया और अपीलार्थी ने दिनांक 03.08.2017 को कार्यभार ग्रहण किया। अपीलार्थी ने वर्ष 2013 में पी.जी. कोर्स पूर्ण किया और उसे राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम, 1963 के प्रावधानों के अंतर्गत कनिष्ठ विशेषज्ञ के पद पर पदोन्नत किया गया। उनका कथन है कि अधिसूचना दिनांक 11.07.2011 के अनुसरण में अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिक के पदोन्नति पर विचार किया गया और पदोन्नति आदेश दिनांक 15.06.2016 जारी किया गया। जबकि सभी कार्मिक जो अपीलार्थी के साथ दिनांक 24.09.2008 को नियुक्त हुए और दिनांक 01.04.2015 से पदोन्नति का लाभ दिया गया। अपीलार्थी ने अपने विभाग को इस संबंध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि उसका नाम पदोन्नति में गलत तरीके से नहीं जोडा गया और बाद में पदोन्नति आदेश दिनांक 24.01.2017 को जारी किया गया जिसमें भी अपीलार्थी का नाम नहीं जोडा गया, जिसके क्रम में अपीलार्थी ने दिनांक 24.01.2017 को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया और अपीलार्थी को दिनांक 02.08.2017 के द्वारा उसे दिनांक 01.04.2015 से पदोन्नति प्रदान की गई। अपीलार्थी को दिनांक 01.04.2015 से कार्यग्रहण करने की तिथि तक का नोशनल लाभ दिया गया और वास्तविक लाभ कार्यग्रहण करने की दिनांक से दिया गया, जबकि दिनांक 01.04.2015 से उसे वास्तविक लाभ नहीं दिया गया और जबकि यह गलती विभाग की तरफ से बिना किसी कारण के विलम्ब से पदोन्नति आदेश जारी किया गया। प्रथम पदोन्नति आदेश दिनांक 15.06.2016 को जारी किया गया और इस प्रकार अपीलार्थी दिनांक 15.06.2016 से प्राप्त करने का अधिकारी है, परंतु उसका नाम त्रुटिवश प्रथम पदोन्नति आदेश में नहीं जोडा गया। डी.ए.सी.पी. स्कीम समयबद्ध स्कीम और यदि कोई आदेश देरी से जारी होता है तो संबंधित कार्मिक सभी पारिणामिक लाभ जब वह पदोन्नत किया जाता है, उसी तिथि से प्राप्त करने का अधिकारी होता है। परंतु वर्तमान मामले में अपीलार्थी को दिनांक 01.04.2015 से पदोन्नत किया गया। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा देरी से आदेश जारी किया गया, जिसके कारण अपीलार्थी ने दिनांक 03.08.2017 को कार्यभार ग्रहण किया जबकि पदोन्नति आदेश दिनांक 01.04.2015 से जारी किया गया, परंतु वास्तविक लाभ कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक 03.08.2017 से दिया गया, जो विधि विरूद्ध है। इस प्रकार अपीलार्थी को गलत तरीके से पदोन्नति का लाभ दिनांक 03.08.2017 से दिया गया है जबकि वह पदोन्नति का वास्तविक लाभ प्रथम पदोन्नति आदेश दिनांक 15.06.2016 से प्राप्त करने का अधिकारी है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को वास्तविक पदोन्नति कनिष्ठ विशेषज्ञ (ऑथ्योमोलॉजी) के पद का लाभ दिनांक 01.04.2015 से अथवा प्रथम पदोन्नति आदेश दिनांक 15.06.2016 से एवं शेष राशि तथा उस पर ब्याज दिया जावे। साथ ही अपीलार्थी ने दूसरी अपील संख्या 3496/2021 में यह भी प्रार्थना की है कि अपील स्वीकार कर आदेश दिनांक 22.01.2021 को अपास्त फरमाया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावें कि उससे कनिष्ठ कार्मिक श्री सतीश कुमार शर्मा के समान एक स्टेप अप वेतन का लाभ दिया जाकर समस्त पारिणामिक लाभ मय शेष राशि ब्याज सहित दिए जाने के निर्देश दिए जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील में जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 19.12.2017 के बिंदु संख्या 2(2) के अनुसार डी.ए.सी.पी. का नोशनल लाभ दिनांक 01.04.2015 से दिया जाकर वास्तविक लाभ कार्यग्रहण की तिथि से दिया गया है। कार्मिक विभाग के परिपत्र की प्रति जो अनुलग्नक–आर–1 संलग्न है, से प्रतीत होता है। डॉ. सतीश कुमार शर्मा से अपीलार्थी वरिष्ठ है, परंतु वरिष्ठता संबंधी कोई विवाद नहीं है। अपीलार्थी को वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 28.06.2013 के द्वारा दिनांक 01.07.2013 से एवं डॉ. सतीश शर्मा को पी.जी. दिनांक 04.08.2015 से तीन अग्रिम वेतन वृद्धियां स्वीकृत की गई। वेतन में अंतर का कारण पृथक–पृथक अवधि में पी.जी. किए जाने के कारण अग्रिम वेतन वृद्धियां स्वीकृत होना रहा है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी वर्तमान में प्रत्यर्थी विभाग के अधीन कनिष्ठ विशेषज्ञ के पद पर जिला चिकित्सालय, भरतपुर में कार्यरत है। अपीलार्थी द्वारा पी.जी. कोर्स वर्ष 2013 में उत्तीर्ण किया जबकि डॉ. सतीश शर्मा ने वर्ष 2015 में पी.जी. उत्तीर्ण किया। इससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी ने डॉ. सतीश शर्मा से दो वर्ष पूर्व ही पी.जी. उत्तीर्ण कर लिया था, परंतु डॉ. सतीश शर्मा अपीलार्थी से कनिष्ठ होते हुए भी उसका वेतन अपीलार्थी से अधिक है, जो न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अपीलार्थी को कनिष्ठ विशेषज्ञ के पद पर डी.ए.सी.पी. दिनांक 01.04.2015 से माना गया है जबकि उसे वास्तविक लाभ

कार्यग्रहण तिथि तक का नोशनल लाभ दिया गया है और वास्तविक लाभ कार्यग्रहण करने की दिनांक से दिया गया है जबकि अपीलार्थी दिनांक 01.04.2015 से वास्तविक लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है। अपीलार्थी द्वारा विभाग को वेतन संबंधी अभ्यावेदन भी दिया गया, परंतु विभाग द्वारा कोई निराकरण नहीं किया गया। इससे स्पष्ट होता है कि प्रत्यर्थी विभाग का कृत्य अपीलार्थी के प्रति मनमाना एवं दुर्भावनापूर्ण प्रकट होता है। इस प्रकार अपीलार्थी की अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी को पी.जी. उत्तीर्ण वर्ष को ध्यान में रखते हुए तथा कनिष्ठ विशेषज्ञ पद पर पदोन्नति का डी.ए.सी.पी. दिनांक से वास्तविक लाभ प्रदान करें। अपीलार्थी से कनिष्ठ डॉ. सतीश शर्मा जिनका वेतन अपीलार्थी से अधिक है, इस तरह के वेतन अंतर को सुधारते हुए नियमानुसार अपीलार्थी को उचित वेतन (step up pay) प्रदान करें। उक्त निर्देशों की पालना इस आदेश के जारी होने की तिथि से दो माह में किया जाना सुनिश्चित करें।

मूल आदेश अपील संख्या 3436/2021 (डॉ. श्रीकांत अग्रवाल) की पत्रावली में रखा जावे एवं इस आदेश के शीर्षक में वर्णित अन्य अपील संख्या 3496/2021 (डॉ. श्रीकांत अग्रवाल) की पत्रावली में इस आदेश की छाया प्रति संलग्न की जावे।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य